

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-

मुन्नीराम बागड़िया
आर० ए० एस०

निगरानी संख्या :- 04/20116

उम्मेद सिंह पुत्र मदन सिंह, जाति जाट निवासी फिरास का बास, जिला झुंझुनू राजस्थान,।
- निगरानीकार

- बनाम-

1. ग्राम पंचायत बाजला जरिये सरपंच पंचायत समिति अलसीसर।
2. प्रताप सिंह पुत्र मदन सिंह जाति जाट निवासी फिरास का बास, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।
3. जगदीश पुत्र मदन सिंह जाति जाट निवासी फिरास का बास, तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।
4. सुमन देवी पत्नी मांगीलाल, जाति मेघवाल निवासी फिरास का बास तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

-गैर निगरानीकारगण

निगरानी अध्या० 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
निगरानी खिलाफ प्रस्ताव संख्या 3 दिनांकित 20.01.2016 व
पत्र क्रमांक ग्राम पंचायत/65 दिनांकित 05.02.2016
अदालत ग्राम पंचायत बाजला पंचायत समिति अलसीसर।

उपस्थिति :-

1. श्री राजेश पुनिया, एडवोकेट
2. श्री विनोद गिल, एडवोकेट

- निगरानीकार की ओर से।
- गैर निगरानीकार सं०4 की ओर से

-निर्णय-

दिनांक :- 15.6.2018

उक्त उनवानी निगरानी विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत बाजला के खिलाफ प्रस्ताव संख्या 3 दिनांकित 20.01.2016 व पत्र क्रमांक ग्राम पंचायत/65 दिनांकित 05.02.2016 के विरुद्ध पेश की गई। सक्षिप्त में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि- अदालत मातहत द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या-3 दिनांकित 20.1.2016 व नोटिस ग्राम पंचायत /65 दिनांकित 5.02.2016 खिलाफ कानून एवं पत्रावली होने से खारिज किया जाये। जमीन हाल खसरा नंबर 102 रकबा 0.79 हेक्टर, खसरा नंबर 102/233 रकबा 0.08 हेक्टर सरहद ग्राम फिरास का बास में स्थित है। उक्तजमीन व अन्य जमीन निगरानीकार व गैर निगरानीकार नंबर 2 व 3 की खातेदारी की जमीन है। गैर निगरानीकार नंबर 4 अपने घर का गेट जानबूझकर निगरानीकार की खातेदारी की जमीन

15/6

हाल खसरा नंबर 102 में निकालना चाहती है। आदेश जैर बहस जानबूझकर स्थानीय राजनैतिक प्रभाव के कारण पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत के प्रस्ताव संख्या-3 दिनांक 20.1.2016 को पारित करने में अपीलान्त को सुना नहीं प्रस्ताव गलत रूप से पारित किया गया। अपीलान्त ने गैर मु0 आबादी की जमीन पर व सुमन के घर के आगे कोई अतिक्रमण नहीं किया। जो सामान है वह अपीलान्त की स्वयं की खातेदारी जमीन में है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या-3 दिनांकित 20.1.2016 व नोटिस ग्राम पंचायत /65 दिनांकित 5.02.2016 खारिज किया जावे।

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि - जमीन हाल खसरा नंबर 102 रकबा 0.79 हैक्टर, खसरा नंबर 102/233 रकबा 0.08 हैक्टर सरहद ग्राम फिरास का बास में स्थित है। उक्तजमीन व अन्य जमीन निगरानीकार व गैर निगरानीकार नंबर 2 व 3 की खातेदारी की जमीन है। गैर निगरानीकार नंबर 4 अपने घर का गेट जानबूझकर निगरानीकार की खातेदारी की जमीन हाल खसरा नंबर 102 में निकालना चाहती है। आदेश जैर बहस जानबूझकर स्थानीय राजनैतिक प्रभाव के कारण पारित किया है जो खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत के प्रस्ताव संख्या-3 दिनांक 20.1.2016 को पारित करने में अपीलान्त को सुना नहीं प्रस्ताव गलत रूप से पारित किया गया। अपीलान्त ने गैर मु0 आबादी की जमीन पर व सुमन के घर के आगे कोई अतिक्रमण नहीं किया। जो सामान है वह अपीलान्त की स्वयं की खातेदारी जमीन में है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या-3 दिनांकित 20.1.2016 व नोटिस ग्राम पंचायत /65 दिनांकित 5.02.2016 खारिज किया जावे।

दौराने बहस वकील गैर निगरानीकार सं0-4 ने बताया कि - दिनांक 20.1.2016 को ग्राम फिरास का बास की अतिक्रमण हटाने की पंच कमिशनों द्वारा पंचायत में निगरानीकारान द्वारा गैर निगरानीकार श्रीमती सुमन देवी मेघवाल के गेट के सामने ईट पत्थर सीमेंट आदि डालकर रास्ते को अवरुद्ध करने के संबंध में पंचों की रिपोर्ट पेश होने पर पंचों की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर निगरानीकारान को अतिक्रमण हटाने का नोटिस

BR

दिया गया है जो विधिसम्मत होने से निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी चलने योग्य नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जाये।

मैंने निगरानी पत्रावली मिसल ग्राम पंचायत बाजला का अवलोकन किया। यह सही है कि ग्राम पंचायत बाजला द्वारा गैर निगरानीकार संख्या-4 की शिकायत पर पंचों की मौका रिपोर्ट लेकर निगरानीकार को अतिरिक्त मानकर बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। निगरानीकार का कथन है कि यादग्रस्त भूमि उसकी खातेदारी भूमि है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत बाजला द्वारा निगरानीकार को बेदखली हेतु जारी नोटिस क्रमांक ग्राम पंचायत /65 दिनांकित 5.02.2016 से पूर्व निगरानीकार को नोटिस जारी कर उसका पक्ष सुना जाना चाहिए था। ग्राम पंचायत बाजला ने निगरानी को सुनवाई व अपनी ओर से जवाब साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर प्रदान न कर सीधे ही बेदखली का आदेश प्रदान किया है जो नस्सर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरित होने से ग्राम पंचायत बाजला द्वारा जारी उक्त आदेश कानूनन निरस्त होने योग्य होने योग्य होने से निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत बाजला के प्रस्ताव संख्या-3 दिनांक 20.1.2016 एवं निगरानीकार को जारी नोटिस क्रमांक ग्राम पंचायत /65 दिनांकित 5.02.2016 निरस्त किया जाता है। तथा पत्रावली इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत बाजला को प्रतिप्रेषित की जाती है कि यह निगरानीकार को उक्त प्रकरण के संबंध में पहले नोटिस जारी कर निगरानीकार को साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करे। आदेश की एक प्रति ग्राम पंचायत बाजला को भिजवाई जाये। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो।

(मुन्नीराम बागडिया)

अतिरिक्त जिला कलक्टर,

झुन्धुनू

निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया। हो।

(मुन्नीराम बागडिया)

अतिरिक्त जिला कलक्टर,